संख्या– /XXIV(4)/2019-01(05)/2018

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 05 जनवरी, 2019

विषयः– **उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों (कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा) तथा राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों को 7वें वेतनमान स्वीकृत/पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के आदेश संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 यथा संशोधित आदेश संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 08 नवम्बर, 2017 द्वारा केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों के सम्बन्ध में लागू किया गया है।

2– उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार निर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 02 नवम्बर, 2017 यथा संशोधित आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2017 के **प्रस्तर–1 से 7** में उल्लिखित वेतनमान (बशर्ते पुनरीक्षित वेतनमानों के समकक्ष पुराने वेतनमान स्वीकृत हों) के आधार पर वेतन पुनरीक्षण योजना को राज्य के उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों यथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा तथा राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के समकक्ष पदधारकों का पुनरीक्षित वेतनमान का विवरण **संलग्नक–1** पर प्रस्तुत है।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 (यथा संशोधित आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2017) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

क्रमशः–2.....

(3) यह योजना कुल सचिव, वित्त अधिकारी तथा परीक्षा नियंत्रक संवर्गों तथा एकम्पनिस्ट, कोच, ट्यूटर्स और डिमान्सट्रेटर्स पर लागू नहीं होगी।

(4) प्रत्येक कार्मिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को पूर्णकालिक सेवा में था, का वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार निर्धारण किया जायेगा।

(5) प्रत्येक लाभार्थी वर्तमान वेतनमान में अपनी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, अथवा उसके पद रिक्त करने या उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक वर्तमान वेतनमान में, वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

(6) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कार्मिक को विकल्प का चयन लिखिक रूप से **संलग्नक–2** पर उपलब्ध "विकल्प पत्र का प्रारूप" में देना होगा और यह विकल्प कार्मिक के नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण–वितरण अधिकारी, जो भी सेवा–पुस्तिका रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर पहुँच जाना चाहिए। एक बार जो विकल्प दे दिया जायेगा उसे ही अन्तिम माना जायेगा। यदि उक्त विकल्प पत्र निर्धारित तिथि के अन्दर नहीं प्राप्त होता है, तो यह मान लिया जायेगा कि लाभार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार्य है और उसका दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा।

(7) जिन कार्मिकों की सेवायें 01.01.2016 को या उसके बाद समाप्त कर दी गयी हों या स्वीकृत पदों की समाप्ति के फलस्वरूप सेवामुक्त कर दिये गये हों या सेवा त्याग (इस्तीफा) किया गया हो या अनुशासनहीनता के कारण सेवामुक्त या बरखास्त किये गये हों, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

(8) जो कार्मिक दिनांक 01.01.2016 को या उसके बाद दिवंगत हो गये और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतनमान के लिए चयन का विकल्प दिया जाना सम्भव न हो, के मामलों में 01.01.2016 या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो भी उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

(9) वार्षिक वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के शासनादेशों की भाँति प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी व जुलाई में ही देय होंगी। लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम छः माह का समय पूरा होने के पश्चात् ही अगली वेतनवृद्धि देय होगी।

(10) सम्बन्धित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं समकक्ष पदों को पुनरीक्षित वेतनमानों में मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

(11) यदि कोई कार्मिक वर्तमान वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 के तुरन्त पहले सवंर्ग में अपने कनिष्ठ की तुलना में अधिक वेतन पा रहा है तथा पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन यदि कनिष्ठ के वेतन से कम निर्धारित होता है, तो ऐसे वरिष्ठ कार्मिक का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उस कनिष्ठ के बराबर कर दिया जायेगा।

क्रमशः–3.....

(12) पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ माह जनवरी, 2019 के वेतन, जो माह फरवरी में देय होगा, से नकद भुगतान किया जायेगा।

(13) वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि के एरियर के भुगतान के आदेश छठें वेतन आयोग के एरियर की लम्बित धनराशि की प्रतिपूर्ति के पश्चात् वित्त विभाग की सहमति से पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(14) अधिवर्षता की आयु के सम्बन्ध में वर्तमान में लागू शर्तें/नियम यथावत् रहेंगे।

(15) पेंशन आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सुसंगत नियम व शर्तें यथावत् लागू होंगी।

(16) इस योजना से आच्छादित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय अपने सुसंगत परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों, आदि में आवश्यक संशोधन इस आदेश के निर्गमन की तिथि के तीन माह के भीतर करना सुनिश्चित करेंगे।

(17) वेतन पुनरीक्षण से पूर्व प्रत्येक लाभार्थी द्वारा इस आशय की एक अण्डर टेकिंग **(संलग्नक–3)** दी जायेगी कि वेतन स्तर के पुनरीक्षण पर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण अथवा अनियमित वेतन स्तर और वेतन प्रकोष्ठ प्रदान किये जाने के कारण अधिक भुगतान या अन्य कोई अतिरिक्त भुगतान की वसूली लाभार्थी को भविष्य में देय भुगतान अथवा भुगतान के अन्यथा अवसरों पर नियमानुसार सुसंगत प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जायेगा।

3– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के प्रस्तर–3 (ii) के अनुसार अधीनस्थ राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का वेतनमान जो पूर्व में रूपये 75,000/– प्रतिमाह नियम था, को पुनरीक्षित करते हुए रूपये 2,10,000/– प्रतिमाह नियत किया जाता है।

4– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.1-1/2018U.II, दिनांक 26.07.2018 के प्रस्तर–1 (a) से (h) तथा पत्र संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के उप प्रस्तर–IV (a) से (h) में उल्लिखित सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा स्वीकार किया गया है।

5– वेतन पुनरीक्षण योजना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को कार्यरत्/भरे हुए नियमित पदों के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 तक राज्य सरकार पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के बिलों की सापेक्ष प्रतिपूर्ति के माध्यम से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। प्रतिपूर्ति का केन्द्रांश दिनांक 01.01.2016 को भरे हुए नियमित पदों के सापेक्ष ही वित्तीय सहायता के रूप में दिया जायेगा। दिनांक 01.04.2019 के पश्चात् कोई केन्द्रीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी। राज्य सरकार पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार से माँग करने हेतु अन्तिम तिथि 31.03.2019 है। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतः दिनांक 31.03.2019 के पूर्व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि की माँग करने हेतु समस्त राज्य विश्वविद्यालयों तथा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग उक्त का वास्तविक व्ययभार सम्बन्धी विवरण निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से शासन को **यथाशीघ्र** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः–4.....

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–03/xxvii(7)/2019, दिनांक 04 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलक्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 35 (1)/XXIV(4)/2019-01(05)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तराखण्ड शासन।
5. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग), उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

05.01.2019

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान पद एवं वेतनमानों में संशोधनोपरान्त प्रस्तावित पदनाम व वेतनमान का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतन संरचना/ढाँचा				
			प्रस्तावित पदनाम	एकेडेमिक लेवल	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान	विशेष भत्ता	अभ्युक्ति
1.	कुलपति	75000.00 स्थिर	कुलपति	–	210000.00 स्थिर	5000.00 प्रतिमाह	विशेष भत्ता यू0जी0सी0/मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संस्तुत
2.	सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर)	15600–39100 AGP 6000	असिस्टेंट प्रोफेसर	एकेडेमिक लेवल–10	57700–182400		
3.	सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर)	15600–39100 AGP 7000	असिस्टेंट प्रोफेसर	एकेडेमिक लेवल–11	68900–205600		
4.	सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर)	15600–39100 AGP 8000	असिस्टेंट प्रोफेसर	एकेडेमिक लेवल–12	79800–211500		
5.	सह प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसर)	37400–67000 AGP 9000	एसोसिएट प्रोफेसर	एकेडेमिक लेवल–13A	131400–217100		
6.	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	37400–67000 AGP 10000	प्रोफेसर	एकेडेमिक लेवल–14	144200–218200		
7.	स्नातक प्राचार्य–वर्तमान	37400–67000 AGP 10000	प्राचार्य	एकेडेमिक लेवल–13A	131400–217100	2000 प्रतिमाह	1.विशेष भत्ता यू0जी0सी0/मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संस्तुत 2. वर्तमान में कार्यरत् स्नातक प्राचार्यों को यू0जी0सी0 की संस्तुति के अनुरूप वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए एकेडेमिक लेवल–14 में पुनरीक्षित किया जायेगा।
8.	स्नातकोत्तर प्राचार्य	37400–67000 AGP 10000	स्नातकोत्तर प्राचार्य	एकेडेमिक लेवल–14	144200–218200	3000 प्रतिमाह	विशेष भत्ता यू0जी0सी0/मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संस्तुत

9.	**प्रशासनिक पद**						
	सहायक निदेशक	15600–39100 AGP 6000/7000/8000 37400–67000 AGP 9000	सहायक निदेशक	एकेडेमिक लेवल–पद पर तैनात शिक्षक को प्रदत्त वेतनमान के अनुसार उपरोक्त क्रमांक–2 से 6 के अनुरूप	पद पर तैनात शिक्षक को प्रदत्त वेतनमान के अनुसार उपरोक्त क्रमांक–2 से 6 के अनुरूप		
	उप निदेशक	37400–67000 AGP 10000	उप निदेशक	एकेडेमिक लेवल–13A	131400–217100	2000 प्रतिमाह	यू0जी0सी0/मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा स्नातक प्राचार्य को संस्तुत विशेष भत्ते के अनुरूप रू0 2000/– सूच्य है कि उप निदेशक पद पर स्नातक प्राचार्यों में से स्थानान्तरण द्वारा तैनाती की जाती है।
	संयुक्त निदेशक	37400–67000 AGP 10000	संयुक्त निदेशक	एकेडेमिक लेवल–14	144200–218200	3000 प्रतिमाह	यू0जी0सी0/मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा स्नातकोत्तर प्राचार्य को संस्तुत विशेष भत्ते के अनुरूप रू0 3000/– सूच्य है कि संयुक्त निदेशक पद पर स्नातकोत्तर प्राचार्यों में से स्थानान्तरण द्वारा तैनाती की जाती है।
	निदेशक	37400–67000 AGP 10000	निदेशक	एकेडेमिक लेवल–14	144200–218200		यू0जी0सी0/मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कुलपति को को संस्तुत विशेष भत्ते के अनुरूप रू0 5000/–
10.	पुस्तकालयाध्यक्ष	15600–39100 AGP 6000	पुस्तकालयाध्यक्ष	एकेडेमिक लेवल–10	57700–182400		

संलग्नक–2

(1) मैं ..... दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता/करती हूँ।

(2) मैं ..... मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये अनुसार वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता/करती हूँ/जब तक कि:–

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि .....

* मेरी बाद की वेतन वृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन .....रूपये न हो जाय।

* मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूं/छोड़ दूं।

वर्तमान वेतनमान .....।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

कार्यालय का नाम .....

दिनांक :

स्टेशन :

* यदि लागू न हो, काट दिया जाय।

संलग्नक-3

UNDERTAKING

I hereby undertake that any excess payment made that may be found to have been made as a result of incorrect fixation of pay in the revised scales or grant of inappropriate pay band/grade pay or any excess payment detected in the light of discrepancies notices subsequently will be refunded by me to the institute either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature_____

Name_____

Designation _____

Date: _____